

पत्रांक—श्रम क०स०—37 / 2024(अंश)-१३1

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, शिवहर के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) तथा दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) अर्थात कुल राशि रू० 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

02 मृतक/दावेदार/कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रित का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार, आधार सं०,	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/ मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० नजरे आलम, 44, मदिस खान, सामान्य	नूरजहां खातून, (माता) 8873675 94868	469, 27.08. 2024 182, 26.04. 2025 573, 12.12. 2025	ग्राम—मीनापुर बलहा, पो०—मीनापुर बलहा, प्र०+, थाना—पिपराही, जिला—शिवहर 7410715873	3258 8100 0010 50	BOB, BARB OSHE OHA	रू० 1,00,000 /- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूरी
2	स्व० मो० अलाउद्दीन साई, 51, मो० गफ्फूर साई, पिछड़ा वर्ग	शाहजहाँ खातून, (पत्नी) 2925030 3 4868	469, 27.08. 2024 182, 26.04. 2025 570, 12.12. 2025	ग्राम+पो०— हरनाही पूर्वी, प्र०+थाना—शिवहर, जिला—शिवहर 9128168443	4993 0017 0003 2211	PNB, PUNB 0499 300	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूरी

कुल राशि रू० 1,30,000/-

(एक लाख तीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-37/2024(अंश)-१३1

पटना, दिनांक :-१५/०२/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **कुल राशि रू० 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

16/02/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 16-02-2026 12:42:50
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
Signed by Rajesh Bharti
Date: 23-02-2026 09:55:46
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक